# UP APO 2015 GS PAPER SOLUTIONS

## Q1. (A) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तथा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

## Constitutional Provisions Relating to Protection of Interests of Minorities and Their Right to Establish and Administer Educational Institutions

**प्रस्तावना / Introduction**

भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राज्य की स्थापना करता है। भारत में धार्मिक और भाषायी विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाओं के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए हैं।

The Constitution of India establishes a secular, democratic and pluralistic State. Keeping in view the religious and linguistic diversity of India, the framers of the Constitution made special provisions for the protection of minorities and for preserving their language, script, culture and educational institutions.

**अल्पसंख्यकों की संकल्पना Concept of Minorities**

- संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, परन्तु सामान्यतः धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है।
  The Constitution does not define the term "minority", but generally religious and linguistic minorities are included within it.
- भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धार्मिक अल्पसंख्यक माने जाते हैं।
  In India, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis and Jains are regarded as religious minorities.
- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
  Constitutional Provisions for Protection of Minority Interests

1. **अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता Article 14 – Equality before Law**

अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक भी अन्य नागरिकों के समान अधिकारों के अधिकारी हैं।

Article 14 guarantees equality before law and equal protection of laws to all persons. Minorities are entitled to the same rights as other citizens.

2. **अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध Article 15 – Prohibition of Discrimination**

अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है।

Article 15 prohibits the State from discriminating against any citizen on grounds of religion, caste, sex, language, etc.

3. **अनुच्छेद 16 – लोक सेवाओं में समान अवसर Article 16 – Equality of Opportunity in Public Employment**

अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

Article 16 provides equality of opportunity in matters of public employment.

4. **अनुच्छेद 25 से 28 – धार्मिक स्वतंत्रता Articles 25 to 28 – Freedom of Religion**
   - अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, उसका प्रचार और पालन करने की स्वतंत्रता देता है।
     Article 25 guarantees freedom of conscience and the right to profess, practise and propagate religion.
   - अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है।
     Article 26 gives religious denominations the right to manage their own affairs.
   - अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
     Article 27 states that no person shall be compelled to pay taxes for the promotion of any particular religion.
   - अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है।
     Article 28 deals with religious instruction in educational institutions.
5. **अनुच्छेद 29 – भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा Article 29 – Protection of Language, Script and Culture**
   - अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
     Article 29(1) provides that any section of citizens residing in India having a distinct language, script or culture has the right to conserve the same.
   - अनुच्छेद 29(2) कहता है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
     Article 29(2) states that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained or aided by the State on grounds of religion, race, caste or language.
6. **अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार**
   **Article 30 – Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions**
   - अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है।
     Article 30(1) provides that all religious and linguistic minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
   - यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और पहचान बनाए रखने के लिए दिया गया है।
     This right is granted to minorities to preserve their culture and identity.
   - अनुच्छेद 30(1A) के अनुसार यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो उचित मुआवजा देना होगा।
     Article 30(1A) provides that if the State acquires the property of a minority educational institution, it must provide adequate compensation.
   - अनुच्छेद 30(2) के अनुसार राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था को सहायता देने से केवल इस आधार पर इंकार नहीं कर सकता कि वह अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित है।
     Article 30(2) states that the State shall not discriminate in granting aid to an educational institution merely because it is managed by a minority.

- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों की सीमा
  Limitations on Minority Educational Institutions
- अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रशासन का अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है। राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता, परीक्षा प्रणाली, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में उचित विनियमन कर सकता है।
  The right of minority institutions to administer is not absolute. The State can impose reasonable regulations in the interest of educational standards, teacher qualifications, examination system, public order and morality.

**महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय Important Judicial Decisions**

1. State of Madras v. Champakam Dorairajan
   इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत धर्म या जाति के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
   In this case, the Supreme Court held that discrimination in admission on the basis of religion or caste is prohibited under Article 29(2).
2. St. Xavier's College v. State of Gujarat
   न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाओं का प्रशासन करने का वास्तविक अधिकार है।
   The Court held that minorities have a real right to administer their institutions.
3. T. M. A. Pai Foundation v. State of Karnataka
   इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और संचालित करने का मौलिक अधिकार है, परन्तु यह उचित विनियमन के अधीन है।
   In this decision, the Supreme Court clarified that minorities have a fundamental right to establish and administer educational institutions, subject to reasonable regulation.
4. P. A. Inamdar v. State of Maharashtra
   न्यायालय ने कहा कि निजी अल्पसंख्यक संस्थाओं पर राज्य अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
   The Court held that the State cannot excessively interfere in private minority institutions.

**निष्कर्ष Conclusion**

भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 और 30 विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये प्रावधान भारतीय लोकतंत्र की बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को सुदृढ़ करते हैं।

The Constitution of India provides sufficient safeguards for the protection of minority interests. Articles 29 and 30, in particular, grant minorities the right to preserve their language, culture and educational institutions. These provisions strengthen the pluralistic and secular character of Indian democracy.

## Q1. (B) स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका

## Role of the Constituent Assembly in Framing the Constitution of Free India

**प्रस्तावना Introduction**

भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी। संविधान सभा ने भारत को एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

The Constitution of India is the largest written Constitution in the world. It was framed by the Constituent Assembly, which laid the foundation of the political, social and economic system of free India. The Constituent Assembly played a vital role in making India a democratic, republican and secular nation.

**संविधान सभा का गठनnFormation of the Constituent Assembly**

- संविधान सभा का गठन 1946 में Cabinet Mission Plan के आधार पर किया गया था। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से, 93 देशी रियासतों से तथा 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से चुने गए थे। विभाजन के बाद इसकी सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।
  The Constituent Assembly was constituted in 1946 on the basis of the Cabinet Mission Plan. It originally had 389 members, of whom 292 were elected from provincial legislatures, 93 from princely states and 4 from Chief Commissioners' provinces. After Partition, its strength was reduced to 299.
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
  The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946.
- Sachchidananda Sinha को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि बाद में Dr. Rajendra Prasad संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
  Sachchidananda Sinha was made the temporary Chairman, while later Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent President of the Constituent Assembly.

**संविधान सभा की प्रमुख भूमिकाएँ Major Roles of the Constituent Assembly**

**1. संविधान के मूल सिद्धांतों का निर्धारण Determination of Basic Principles of the Constitution**

संविधान सभा ने यह तय किया कि भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा। बाद में संविधान की प्रस्तावना में इन आदर्शों को सम्मिलित किया गया।

The Constituent Assembly decided that India would be a sovereign, democratic and republican State. These ideals were later included in the Preamble of the Constitution.

**2. उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करना Adoption of the Objective Resolution**

13 दिसंबर 1946 को Jawaharlal Nehru ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।

On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru moved the Objective Resolution. It was adopted on 22 January 1947. This Resolution later became the basis of the Preamble of the Constitution.

### 3. समितियों का गठन Formation of Committees

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न पक्षों के लिए अनेक समितियों का गठन किया। इनमें प्रमुख थीं—

The Constituent Assembly formed several committees for different aspects of constitution-making. The important committees were—

- प्रारूप समिति (Drafting Committee) – अध्यक्ष: Dr. B. R. Ambedkar
  Drafting Committee – Chairman: Dr. B. R. Ambedkar
- संघ शक्तियाँ समिति – अध्यक्ष: Jawaharlal Nehru
  Union Powers Committee – Chairman: Jawaharlal Nehru
- प्रांतीय संविधान समिति – अध्यक्ष: Sardar Vallabhbhai Patel
  Provincial Constitution Committee – Chairman: Sardar Vallabhbhai Patel
- मौलिक अधिकार समिति – अध्यक्ष: Sardar Vallabhbhai Patel
  Fundamental Rights Committee – Chairman: Sardar Vallabhbhai Patel

इन समितियों ने संविधान के विभिन्न भागों का मसौदा तैयार किया।

These committees prepared drafts of various parts of the Constitution.

### 4. प्रारूप संविधान का निर्माण Preparation of the Draft Constitution

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया।

The Drafting Committee was constituted on 29 August 1947.

इस समिति के अध्यक्ष Dr. B. R. Ambedkar थे। उन्होंने विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार किया।

Its Chairman was Dr. B. R. Ambedkar. He prepared the Draft Constitution on the basis of the reports of various committees.

संविधान का प्रारूप नवंबर 1948 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

The Draft Constitution was presented before the Constituent Assembly in November 1948.

### 5. व्यापक विचार-विमर्श और बहस Detailed Discussion and Debate

संविधान सभा ने संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा की। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक संविधान सभा ने कार्य किया।

The Constituent Assembly discussed every Article of the Constitution in detail. It worked for about 2 years, 11 months and 18 days.

इस दौरान 11 सत्र हुए और लगभग 165 दिनों तक बहस चली।

During this period, there were 11 sessions and debates continued for about 165 days.

### 6. लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना Establishment of Democratic Values

संविधान सभा ने संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय शासन और संसदीय प्रणाली को शामिल किया।

The Constituent Assembly incorporated Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, an independent judiciary, a federal system and parliamentary form of government in the Constitution.

**7. विभाजन और रियासतों की समस्या का समाधान Solution of the Problems of Partition and Princely States**

संविधान सभा ने भारत के विभाजन और देशी रियासतों के एकीकरण की कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य जारी रखा।

The Constituent Assembly continued its work even in the difficult circumstances of Partition and the integration of princely states.

Sardar Vallabhbhai Patel के प्रयासों से अधिकांश रियासतें भारत में सम्मिलित हुईं।

Due to the efforts of Sardar Vallabhbhai Patel, most princely states were integrated into India.

**8. संविधान को अंगीकृत करना Adoption of the Constitution**

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।

On 26 November 1949, the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to itself the Constitution.

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे अब Republic Day के रूप में मनाया जाता है।

The Constitution came into force on 26 January 1950, which is now celebrated as Republic Day.

**निष्कर्ष Conclusion**

संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसने भारत की विविधता, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा संविधान बनाया जो आज भी देश की एकता, अखंडता और प्रगति का आधार है।

The Constituent Assembly played a historic role in framing the Constitution of free India. Keeping in view India's diversity, culture and democratic values, it framed a Constitution which remains the basis of the country's unity, integrity and progress even today.

## Q2. (A) केन्द्र में मोदी सरकार के गठन के बाद भारत-अफगानिस्तान संबंध

## Indo-Afghanistan Relations after the Formation of the Modi Government

भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध रहे हैं। 2014 में केन्द्र में मोदी सरकार के गठन के बाद भारत-अफगानिस्तान संबंधों में और अधिक मजबूती आई। भारत ने "Neighbourhood First Policy" के अंतर्गत अफगानिस्तान को विशेष महत्व दिया।

India and Afghanistan have traditionally shared historical, cultural and strategic relations. After the formation of the Modi Government in 2014, Indo-Afghan relations became stronger. India gave special importance to Afghanistan under its "Neighbourhood First Policy".

**1. राजनीतिक एवं राजनयिक संबंध Political and Diplomatic Relations**

- मोदी सरकार के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएँ बढ़ीं। 2015 में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अफगानिस्तान की यात्रा की और भारत द्वारा निर्मित अफगान संसद भवन का उद्घाटन किया।

  After the Modi Government came to power, high-level visits between the two countries increased. In 2015, Prime Minister Narendra Modi visited Afghanistan and inaugurated the Afghan Parliament building constructed by India.

- भारत और अफगानिस्तान के बीच 2011 में हुए Strategic Partnership Agreement को और अधिक सक्रिय बनाया गया।
  The Strategic Partnership Agreement signed between India and Afghanistan in 2011 was further strengthened and activated.
- भारत ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार और शांति प्रक्रिया का लगातार समर्थन किया।
  India continuously supported the democratic government and peace process in Afghanistan.
- भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी।
  India maintained an active presence in Afghanistan through its embassy and consulates.

### 2. आर्थिक और विकासात्मक सहयोग Economic and Developmental Cooperation

- भारत अफगानिस्तान का प्रमुख विकास साझेदार बन गया। भारत ने अफगानिस्तान में 3 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की।
  India emerged as a major development partner of Afghanistan. India provided assistance worth more than 3 billion dollars to Afghanistan.
- भारत ने सड़क, बांध, संसद भवन, अस्पताल, विद्यालय तथा बिजली परियोजनाओं में निवेश किया।
  India invested in roads, dams, Parliament building, hospitals, schools and power projects.

भारत द्वारा निर्मित प्रमुख परियोजनाएँ—
Major projects constructed by India include—

- Afghan Parliament Building
- Salma Dam, जिसे "Afghanistan-India Friendship Dam" भी कहा जाता है
- Zaranj-Delaram Highway

Salma Dam और अफगान संसद भवन का उद्घाटन मोदी सरकार के समय हुआ।

### 3. सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग Strategic and Security Cooperation

- मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग दिया। भारत ने अफगान सैनिकों को प्रशिक्षण दिया तथा सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए।
  The Modi Government also supported Afghanistan in the field of security. India trained Afghan soldiers and provided military equipment.
- 2015 में भारत ने अफगानिस्तान को Mi-25 attack helicopters दिए।
  In 2015, India supplied Mi-25 attack helicopters to Afghanistan.
- भारत और अफगानिस्तान दोनों आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं, इसलिए दोनों देशों ने आतंकवाद-विरोधी सहयोग को बढ़ाया।
  Both India and Afghanistan have been affected by terrorism, therefore both countries enhanced anti-terror cooperation.

### 4. संपर्क और व्यापार Connectivity and Trade

- पाकिस्तान के कारण भारत-अफगानिस्तान व्यापार में कठिनाई थी। इसलिए मोदी सरकार ने वैकल्पिक मार्गों पर ध्यान दिया।
  Due to Pakistan, India-Afghanistan trade faced difficulties. Therefore, the Modi Government focused on alternative routes.
- भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने 2016 में Chabahar Port समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे अफगानिस्तान को समुद्री मार्ग से भारत से जुड़ने का अवसर मिला।
  India, Afghanistan and Iran signed the Chabahar Port agreement in 2016. This enabled Afghanistan to connect with India through a sea route.
- भारत ने Air Freight Corridor भी प्रारम्भ किया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा।
  India also started the Air Freight Corridor, which increased trade between the two countries.

## 5. तालिबान की वापसी के बाद संबंध Relations after the Return of the Taliban

- 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत-अफगानिस्तान संबंधों में नई चुनौती उत्पन्न हुई।
  After the Taliban came to power in Afghanistan in 2021, a new challenge emerged in Indo-Afghan relations.
- भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी, परन्तु मानवीय सहायता जारी रखी।
  India did not formally recognise the Taliban Government, but continued humanitarian assistance.
- भारत ने अफगानिस्तान को गेहूँ, दवाइयाँ, कोविड-19 टीके तथा अन्य राहत सामग्री भेजी।
  India sent wheat, medicines, COVID-19 vaccines and other relief material to Afghanistan.
- भारत ने 2022 में काबुल में अपना "technical mission" पुनः शुरू किया और अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा के लिए संवाद बनाए रखा।
  In 2022, India reopened its "technical mission" in Kabul and maintained dialogue to protect its interests in Afghanistan.

## 6. भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व Importance of Afghanistan for India

- मध्य एशिया तक पहुँच Access to Central Asia
- पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध सामरिक संतुलन Strategic balance against Pakistan and terrorism
- क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता Regional security and stability
- ऊर्जा और व्यापारिक संपर्क Energy and trade connectivity

## निष्कर्ष Conclusion

मोदी सरकार के गठन के बाद भारत-अफगानिस्तान संबंधों में राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई। हालांकि 2021 में तालिबान की वापसी से संबंधों में कठिनाई आई, फिर भी भारत ने व्यावहारिक और संतुलित नीति अपनाते हुए अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं।

After the formation of the Modi Government, Indo-Afghanistan relations made significant progress at political, economic, strategic and cultural levels. Although the return of the Taliban in 2021 created difficulties, India has continued its relations with Afghanistan through a practical and balanced policy.

## Q2. (B) परमाणु ऊर्जा : वैश्विक शांति और सुरक्षा में भूमिका

## Nuclear Energy: Its Role in Global Peace and Security

**प्रस्तावना Introduction**

- परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रियाओं—नाभिकीय विखंडन (Fission) अथवा नाभिकीय संलयन (Fusion)—से प्राप्त होती है।
  Nuclear energy is the energy obtained from reactions occurring in the nucleus of an atom—nuclear fission or nuclear fusion.
- आज परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, चिकित्सा, कृषि तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है।
  Today nuclear energy is used in electricity generation, medicine, agriculture and scientific research.
- परंतु इसका प्रयोग परमाणु हथियारों के रूप में भी किया जा सकता है, इसलिए यह वैश्विक शांति और सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ विषय है।
  However, it can also be used in the form of nuclear weapons, therefore it is directly related to global peace and security.

**परमाणु ऊर्जा का अर्थ Meaning of Nuclear Energy**

जब यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे तत्वों के परमाणु टूटते हैं, तब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं।
When atoms of elements like uranium or plutonium split, a huge amount of energy is released. This is called nuclear energy.
नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत को समझाने के लिए—
To explain the principle of nuclear fission—
M= mc^2
यह सूत्र बताता है कि थोड़े से द्रव्यमान से भी बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।
This formula shows that even a small amount of mass can produce a very large amount of energy.
वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका
Role of Nuclear Energy in Maintaining Global Peace and Security

**1. युद्ध की संभावना को कम करना Reducing the Possibility of War**

परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति के कारण बड़े राष्ट्र एक-दूसरे पर हमला करने से बचते हैं। इसे "Deterrence" या प्रतिरोध की नीति कहते हैं।
Because of the destructive power of nuclear weapons, major nations avoid attacking each other. This is called the policy of deterrence.
उदाहरण के लिए, India और Pakistan के बीच परमाणु शक्ति होने के कारण पूर्ण युद्ध की संभावना कम हुई है।
For example, due to nuclear capability, the possibility of full-scale war between India and Pakistan has been reduced.

**2. ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना Providing Energy Security**

यदि देशों को पर्याप्त परमाणु ऊर्जा उपलब्ध हो, तो वे तेल और गैस पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे संसाधनों को लेकर होने वाले संघर्ष कम हो सकते हैं।

If countries have sufficient nuclear energy, they will not remain dependent on oil and gas. This can reduce conflicts over resources.

परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और दीर्घकालीन ऊर्जा का स्रोत है।

Nuclear energy is a clean and long-term source of energy.

### 3. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा Promoting International Cooperation

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ा है।

Cooperation among nations has increased for the peaceful use of nuclear energy.

International Atomic Energy Agency देशों को परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग, निरीक्षण और सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन देती है।

The International Atomic Energy Agency guides countries in the peaceful use, inspection and safety of nuclear technology.

### 4. परमाणु अप्रसार संधियाँ Nuclear Non-Proliferation Treaties

विश्व शांति बनाए रखने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संधियाँ की गई हैं, जैसे—

Many international treaties have been made to maintain world peace, such as—

- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
- International Atomic Energy Agency safeguards

इनका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।

Their objective is to prevent the spread of nuclear weapons and ensure the peaceful use of nuclear energy.

### 5. चिकित्सा और मानव कल्याण में उपयोग Use in Medicine and Human Welfare

परमाणु ऊर्जा का उपयोग कैंसर उपचार, खाद्य संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है।

Nuclear energy is used in cancer treatment, food preservation and scientific research.

जब परमाणु तकनीक मानव कल्याण में उपयोग होती है, तो देशों के बीच सहयोग और विश्वास बढ़ता है।

When nuclear technology is used for human welfare, cooperation and trust among nations increase.

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियाँ

Challenges Related to Nuclear Energy

1. परमाणु हथियारों का प्रसार विश्व शांति के लिए खतरा है।
   The spread of nuclear weapons is a threat to world peace.
2. आतंकवादी संगठनों द्वारा परमाणु सामग्री का दुरुपयोग किया जा सकता है।
   Nuclear material may be misused by terrorist organisations.
3. परमाणु दुर्घटनाएँ, जैसे Chernobyl disaster और Fukushima Daiichi nuclear disaster, मानवता के लिए गंभीर खतरा हैं।
   Nuclear accidents such as the Chernobyl disaster and the Fukushima Daiichi nuclear disaster are serious threats to humanity.

4. परमाणु कचरे का सुरक्षित निपटान कठिन है।
   Safe disposal of nuclear waste is difficult.

**निष्कर्ष Conclusion**

परमाणु ऊर्जा एक शक्तिशाली साधन है। यदि इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, तो यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहायक हो सकती है। परंतु इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण और सहयोग आवश्यक है।

Nuclear energy is a powerful tool. If it is used only for peaceful purposes, it can help maintain global peace and security by promoting energy security, economic development and international cooperation. However, international control and cooperation are necessary to prevent its misuse.

## Q3. (A) नेपाल में वर्तमान राजनीतिक अशांति को ध्यान में रखते हुए भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों का परीक्षण

## Examine the Trade and Economic Relationship between India and Nepal in the Context of Present Political Disturbance in Nepal

भारत और नेपाल के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, 1950 की मैत्री संधि तथा लोगों की मुक्त आवाजाही ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाया है। परंतु नेपाल में वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार बदलती सरकारों ने इन संबंधों को प्रभावित किया है।

India and Nepal share close historical, cultural and economic relations. The open border, the 1950 Treaty of Peace and Friendship, and free movement of people have strengthened trade and economic cooperation. However, the present political instability and frequent changes of government in Nepal have affected these relations.

**भारत-नेपाल व्यापारिक संबंध India-Nepal Trade Relations**

- भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 65% भारत के साथ होता है। भारत नेपाल के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है तथा नेपाल अपनी अधिकांश आवश्यक वस्तुएँ भारत से आयात करता है।
- India is Nepal's largest trading partner. Nearly 65% of Nepal's foreign trade is with India. India is the biggest market for Nepal's exports, while Nepal imports most of its essential goods from India.
- नेपाल भारत को मुख्यतः खाद्य तेल, चाय, कॉफी, जूट, इलायची और तैयार वस्त्र निर्यात करता है, जबकि भारत से पेट्रोलियम, मशीनें, वाहन, दवाइयाँ, खाद्यान्न और औद्योगिक वस्तुएँ आयात करता है।
  Nepal mainly exports edible oil, tea, coffee, jute, cardamom and readymade goods to India, while it imports petroleum, machinery, vehicles, medicines, food grains and industrial products from India.
- नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर अत्यधिक निर्भर है। नेपाल स्थलरुद्ध (landlocked) देश है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उसे भारतीय बंदरगाहों और परिवहन मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है।
  Nepal's economy is highly dependent on India. Since Nepal is a landlocked country, it depends on Indian ports and transit routes for international trade.

- भारत नेपाल को कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के माध्यम से समुद्री पहुँच प्रदान करता है।
  India provides Nepal access to the sea through Kolkata and Visakhapatnam ports.

**आर्थिक संबंध और निवेश Economic Relations and Investment**

भारत नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग एक-तिहाई भारत से आता है। भारत का निवेश बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्रों में है।

India is the largest foreign investor in Nepal. About one-third of Nepal's total Foreign Direct Investment (FDI) comes from India. Indian investment is concentrated in banking, insurance, telecommunications, education, energy and tourism.

भारत ने नेपाल में सड़क, रेल, विद्युत, स्वास्थ्य और सिंचाई संबंधी कई परियोजनाएँ विकसित की हैं।

India has developed several road, rail, power, health and irrigation projects in Nepal.

**प्रमुख परियोजनाएँ हैं—**

**Major projects include—**

1. जयनगर-कुर्था रेल परियोजना Jaynagar-Kurtha Railway Project
2. एकीकृत चेक पोस्ट Integrated Check Posts
3. मोतीहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन Motihari-Amlekhganj Petroleum Pipeline
4. जलविद्युत परियोजनाएँ Hydropower Projects

नेपाल में जलविद्युत की अपार संभावना है। भारत नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश कर रहा है और नेपाल से बिजली आयात भी कर रहा है।

Nepal has immense hydropower potential. India is investing in hydropower projects in Nepal and is also importing electricity from Nepal.

**राजनीतिक अशांति का प्रभाव Impact of Political Disturbance**

- नेपाल में लगातार बदलती सरकारों, राजनीतिक दलों के संघर्ष और जन-आंदोलनों के कारण आर्थिक नीति में स्थिरता नहीं रह पाती। इससे भारत-नेपाल व्यापार और निवेश प्रभावित होते हैं।
  Due to frequent changes of government, political conflicts and public movements in Nepal, there is no stability in economic policy. This affects India-Nepal trade and investment.
- नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई विकास परियोजनाएँ और जलविद्युत योजनाएँ धीमी पड़ जाती हैं।
  Because of political instability in Nepal, many development and hydropower projects slow down.
- नेपाल में हाल की राजनीतिक अशांति के कारण भारत से जाने वाली आपूर्ति, परिवहन तथा निवेश में अनिश्चितता बढ़ी है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है।
- Recent political unrest in Nepal has increased uncertainty in Indian supplies, transport and investment. This has adversely affected trade between the two countries.
- नेपाल में भारत के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना को कभी-कभी राजनीतिक दलों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। व्यापार घाटे और भारत पर अत्यधिक निर्भरता को "आर्थिक प्रभुत्व" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- Political parties in Nepal sometimes encourage anti-India nationalist sentiments. The trade deficit and Nepal's dependence on India are often portrayed as "economic domination".

- नेपाल का भारत के साथ भारी व्यापार घाटा है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले पाँच महीनों में भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 339 अरब नेपाली रुपये तक पहुँच गया।
- Nepal has a huge trade deficit with India. In the first five months of FY 2025-26, Nepal's trade deficit with India reached 339 billion Nepalese rupees.
- राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल चीन के साथ अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे भारत-नेपाल आर्थिक संबंधों में प्रतिस्पर्धा और तनाव उत्पन्न होता है।
  Due to political instability, Nepal often tries to strengthen ties with China, which creates competition and tension in India-Nepal economic relations.

**सुधार की आवश्यकता Need for Improvement**

1. दोनों देशों को व्यापार घाटा कम करने के लिए नेपाल के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए।
   Both countries should promote Nepal's exports to reduce the trade deficit.
2. जलविद्युत, पर्यटन और कृषि में संयुक्त निवेश बढ़ाना चाहिए।
   Joint investment in hydropower, tourism and agriculture should be increased.
3. सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेदों को संवाद द्वारा सुलझाना चाहिए।
   Border disputes and political differences should be resolved through dialogue.
4. परिवहन, रेल और डिजिटल संपर्क को मजबूत करना चाहिए।
   Transport, railway and digital connectivity should be strengthened.

**निष्कर्ष Conclusion**

भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ और परस्पर निर्भरता पर आधारित हैं। नेपाल की वर्तमान राजनीतिक अशांति से इन संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परंतु दोनों देशों के साझा हित, खुली सीमा और सांस्कृतिक निकटता भविष्य में भी आर्थिक सहयोग को बनाए रखेंगे।

Trade and economic relations between India and Nepal are very close and based on mutual dependence. Nepal's present political unrest has adversely affected these relations, but the shared interests, open border and cultural proximity of the two countries will continue to sustain economic cooperation in the future.

## Q3. (B) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्य तथा उत्तर प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के उपाय

## Objectives of the National Food Security Act and Measures Adopted in Uttar Pradesh for its Implementation

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना तथा उन्हें भूख और कुपोषण से बचाना है।

The main objective of the National Food Security Act, 2013 is to provide food grains at subsidised rates to the poor and weaker sections and protect them from hunger and malnutrition.

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य**
**Main Objectives of the National Food Security Act**

1. **प्रत्येक पात्र परिवार को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। To provide food grains at subsidised rates to every eligible family**.

प्राथमिकता परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम तथा अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है।
Priority households are entitled to 5 kg food grains per person per month, while Antyodaya families receive 35 kg per family per month.

2. **गरीबों, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। To ensure food security to the poor, women, children and weaker sections.**

गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
Special provisions have been made to provide nutritious food to pregnant women, lactating mothers and children from 6 months to 14 years of age.

a) भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को समाप्त करना।
To eliminate hunger, malnutrition and food insecurity.
b) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना।
To make the Public Distribution System (PDS) more transparent and effective.
c) राशन कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला को मुखिया मानना, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
To treat the eldest woman of the family as the head of the household in the ration card, thereby promoting women empowerment.

उत्तर प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अपनाए गए तरीके
Measures Adopted in Uttar Pradesh for the Implementation of the Act

3. **राशन कार्डों का डिजिटलीकरण Digitisation of Ration Cards**

उत्तर प्रदेश में राशन कार्डों को ऑनलाइन किया गया है तथा आधार से जोड़ा गया है, जिससे फर्जी और दोहरे राशन कार्डों को हटाया जा सके।
In Uttar Pradesh, ration cards have been digitised and linked with Aadhaar to remove fake and duplicate cards.

4. **ई-पॉस मशीनों का प्रयोग Use of e-POS Machines**

सभी उचित दर की दुकानों पर e-POS मशीनें लगाई गई हैं, जिससे लाभार्थियों की पहचान बायोमेट्रिक तरीके से की जाती है और राशन वितरण में पारदर्शिता आती है।
e-POS machines have been installed at all fair price shops so that beneficiaries can be identified through biometrics and transparency in ration distribution is ensured.

5. **"एक राष्ट्र–एक राशन कार्ड" योजना "One Nation One Ration Card" Scheme**

उत्तर प्रदेश में "एक राष्ट्र–एक राशन कार्ड" योजना लागू की गई है, जिससे प्रवासी मजदूर और अन्य लाभार्थी देश के किसी भी राज्य या दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

The "One Nation One Ration Card" scheme has been implemented in Uttar Pradesh, under which migrant workers and other beneficiaries can obtain ration from any state or fair price shop in the country.

**6. ऑनलाइन निगरानी और शिकायत निवारण Online Monitoring and Grievance Redressal**

राशन वितरण की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन तथा पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

Ration distribution is being monitored through online portals and mobile apps. Helplines and portals have been arranged for lodging complaints.

**7. उचित दर की दुकानों की निगरानी Monitoring of Fair Price Shops**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों पर नियमित निरीक्षण किया जाता है ताकि कालाबाज़ारी और भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

The Government of Uttar Pradesh regularly inspects fair price shops to prevent black marketing and corruption.

**8. आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन Aadhaar-based Biometric Verification**

राशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की पहचान आधार आधारित फिंगरप्रिंट या आईरिस से की जाती है।

Beneficiaries are identified through Aadhaar-based fingerprint or iris authentication to obtain ration.

**निष्कर्ष Conclusion**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश में डिजिटलीकरण, e-POS मशीनें, आधार सत्यापन तथा "एक राष्ट्र–एक राशन कार्ड" जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से इस अधिनियम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

The National Food Security Act aims to ensure food grains for all poor and needy people. In Uttar Pradesh, the Act is being made more effective and transparent through digitisation, e-POS machines, Aadhaar verification and the "One Nation One Ration Card" scheme.

## Q4. (A) A उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिटों के नाम और उनके कार्य

## Names and Functions of Writs Issued by the High Court

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है।

Under Article 226 of the Constitution of India, the High Court can issue writs for the protection of Fundamental Rights of citizens.

**उच्च न्यायालय द्वारा पाँच प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं—**

**The High Court issues five types of writs—**

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)** कार्य: यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो, तो न्यायालय उसे अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है।
   Function: If a person is illegally detained, the Court orders that the person be produced before it.
   उद्देश्य: व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना।
   Purpose: To protect personal liberty.
2. **परमादेश (Mandamus)**
   कार्य: यह रिट किसी लोक अधिकारी, सरकारी संस्था या अधीनस्थ न्यायालय को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है।
   Function: This writ orders a public authority, government body or subordinate court to perform its legal duty.
   उद्देश्य: सार्वजनिक कर्तव्य के पालन को सुनिश्चित करना।
   Purpose: To ensure performance of public duty.
3. **प्रतिषेध (Prohibition)**
   कार्य: यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को उस कार्यवाही को रोकने के लिए जारी की जाती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।
   Function: This writ is issued by the High Court to a subordinate court or tribunal to stop proceedings which are beyond its jurisdiction.
   उद्देश्य: अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।
   Purpose: To prevent a subordinate court from exceeding its jurisdiction.
4. **अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)**
   कार्य: यह रिट किसी व्यक्ति से पूछती है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है।
   Function: This writ asks a person by what authority he is holding a public office.
   उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर न रहे।
   Purpose: To ensure that no person occupies a public office illegally.
5. **उत्प्रेषण (Certiorari)**
   कार्य: यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के आदेश को निरस्त करने के लिए जारी की जाती है, यदि उसने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या विधि के विरुद्ध कार्य किया हो।
   Function: This writ is issued by the High Court to quash the order of a subordinate court or tribunal if it has acted beyond its jurisdiction or contrary to law.
   उद्देश्य: गलत या अवैध आदेश को समाप्त करना।
   Purpose: To remove an incorrect or illegal order.

**Q4. (B) नवंबर 2015 में हुए सफल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परीक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।**
**Write a brief note on the successful Brah Mos Supersonic Cr uise Missile test in November, 2015.**

- नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण 1 नवंबर 2015 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS Kochi से किया गया। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में अपने लक्ष्य को अत्यंत सटीकता से भेद दिया।

- In November 2015, the Indian Navy successfully tested the BrahMos supersonic cruise missile. The test was conducted on 1 November 2015 from the Indian naval warship INS Kochi. The missile accurately hit its target in the Bay of Bengal.
- यह परीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार INS Kochi से मिसाइल को ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणाली द्वारा छोड़ा गया। मिसाइल ने सेवामुक्त युद्धपोत INS Alleppey को लक्ष्य बनाकर सफलतापूर्वक नष्ट किया।
- This test was important because, for the first time, the missile was launched vertically from INS Kochi. The missile successfully destroyed the decommissioned warship INS Alleppey as its target.
- ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, जिसे DRDO और रूस की NPO Mashinostroyenia ने विकसित किया है। इसकी गति लगभग मैक 2.8 से 3 है, जो ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना अधिक है।
- BrahMos is a joint project of India and Russia, developed by DRDO and Russia's NPO Mashinostroyenia. Its speed is about Mach 2.8 to 3, which is nearly three times the speed of sound.
- ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह भूमि, समुद्र तथा वायु से प्रक्षेपित की जा सकती है।
- The BrahMos missile can strike targets up to about 290 kilometres and can be launched from land, sea and air.
- इस सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, समुद्री सुरक्षा तथा सामरिक शक्ति में वृद्धि हुई। इससे भारत की रक्षा तैयारी और स्वदेशी सैन्य तकनीक को भी मजबूती मिली।
- This successful test enhanced the striking capability, maritime security and strategic strength of the Indian Navy. It also strengthened India's defence preparedness and indigenous military technology.

## Q5. Write notes on the following:

### (i) एग्जिट पोल Exit Poll

एग्जिट पोल वह सर्वेक्षण है जो मतदान समाप्त होने के बाद मतदाताओं से यह पूछकर किया जाता है कि उन्होंने किस दल या उम्मीदवार को वोट दिया। इसका उद्देश्य चुनाव परिणाम का अनुमान लगाना होता है।

Exit Poll is a survey conducted after voting is over, in which voters are asked which party or candidate they voted for. Its purpose is to estimate the election result.

भारत में एग्जिट पोल के परिणाम मतदान समाप्त होने के बाद ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।

In India, the results of Exit Polls can be published only after the completion of voting.

Election Commission of India एग्जिट पोल के प्रकाशन से संबंधित नियम निर्धारित करता है।

Election Commission of India lays down the rules regarding publication of Exit Polls.

### (ii) डिजिटल इंडिया Digital India

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 1 जुलाई 2015 को प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।

Digital India is a flagship programme of the Government of India launched on 1 July 2015. Its aim is to transform India into a digitally empowered society and knowledge-based economy.

इसके अंतर्गत ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिलॉकर, भारतनेट तथा UMANG जैसी सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है।

Under this programme, services like e-governance, digital payments, online education, DigiLocker, BharatNet and UMANG have been promoted.
इससे सरकारी सेवाएँ आसान, पारदर्शी और तेज हुई हैं।
This has made government services easier, transparent and faster.

**(iii) सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samriddhi Yojana**

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है, जो बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई।
यह योजना 2015 में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अंतर्गत शुरू की गई।
Sukanya Samriddhi Yojana is a savings scheme of the Government of India launched to secure the future of girl children. It was started in 2015 under the "Beti Bachao, Beti Padhao" campaign.
इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोला जा सकता है।
Under this scheme, an account can be opened in the name of a girl child below 10 years of age in a bank or post office.
इसमें जमा राशि पर उच्च ब्याज दर तथा कर में छूट मिलती है।
It provides a high rate of interest and tax exemption on the deposited amount.
यह योजना बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
This scheme provides financial support for the education and marriage of the girl child.

**(iv) जनहित याचिका (PIL) Public Interest Litigation (PIL)**

जनहित याचिका वह याचिका है जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा समाज के व्यापक हित में न्यायालय में दायर की जाती है।
Public Interest Litigation is a petition filed in a court by any person or organisation for the larger interest of society.
यदि किसी गरीब, कमजोर या असहाय व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी ओर से याचिका दायर कर सकता है।
If the rights of a poor, weak or helpless person are being violated, another person may file a petition on his behalf.
भारत में PIL की शुरुआत 1980 के दशक में हुई।
In India, PIL began in the 1980s.
Justice P. N. Bhagwati और Justice V. R. Krishna Iyer ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Justice P. N. Bhagwati and Justice V. R. Krishna Iyer played an important role in its development.
PIL का उद्देश्य गरीबों, पर्यावरण, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है।
The purpose of PIL is to protect the poor, environment, human rights and social justice.

**(v) स्वच्छ भारत मिशन Swachh Bharat Mission**

स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वच्छता योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को प्रारम्भ किया गया।
Swachh Bharat Mission is a national cleanliness programme of the Government of India launched on 2 October 2014.

इसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, स्वच्छता बढ़ाना और कचरा प्रबंधन में सुधार करना है।
Its objective is to eliminate open defecation, improve cleanliness and strengthen waste management.
यह मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया गया।
This mission has been implemented in both rural and urban areas.
इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण, स्वच्छता जागरूकता तथा कचरे के उचित निपटान पर बल दिया गया।
Under this mission, emphasis has been laid on toilet construction, cleanliness awareness and proper disposal of waste.
इस अभियान ने भारत में स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन लाया।
This campaign has brought a major change in people's attitude towards cleanliness in India.

**Q6.Write short notes on the following.**

**i. इंटरपोल Interpol**

इंटरपोल का पूरा नाम International Criminal Police Organization है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय Lyon में है।
Interpol stands for International Criminal Police Organization. It was established in 1923. Its headquarters is in Lyon.
यह विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग स्थापित करता है तथा अपराधियों, आतंकवादियों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जानकारी साझा करता है।
It establishes cooperation among the police forces of different countries and shares information regarding criminals, terrorists and international crimes.

**ii. Pradhan Mantri Awas Yojana**

"सभी के लिए आवास" का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए भारत सरकार ने 2015 में Pradhan Mantri Awas Yojana प्रारम्भ की।
"Housing for All" aims to provide a house to every family. For this purpose, the Government of India launched Pradhan Mantri Awas Yojana in 2015.
इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम लागत वाले मकान उपलब्ध कराए जाते हैं।
Under this scheme, low-cost houses are provided to the urban and rural poor.

**iii. प्रधानमंत्री जन-धन योजना Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana**

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है।
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana was launched on 28 August 2014. Its aim is to connect every family with banking facilities.
इस योजना के अंतर्गत शून्य शेष राशि पर बैंक खाता, रुपे कार्ड, बीमा तथा ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है।
Under this scheme, a zero balance bank account, RuPay card, insurance and overdraft facilities are provided.

**iv. अग्नि-V मिसाइल की रेंज Range of Agni-V Missile**

Agni-V भारत की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर है।

Agni-V is India's long-range ballistic missile. Its striking range is about 5000 to 5500 kilometres.

यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसे Defence Research and Development Organisation ने विकसित किया है।

It is capable of carrying nuclear weapons and has been developed by Defence Research and Development Organisation.

**v. कोलेजियम Collegium**

कोलेजियम वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत Supreme Court of India तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है।

Collegium is the system under which judges of the Supreme Court of India and High Courts are appointed and transferred.

इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं।

It includes the Chief Justice of India and the senior-most judges of the Supreme Court.

**vi. क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी Clean UP-Green UP**

"क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी" उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

"Clean UP-Green UP" is a campaign of the Government of Uttar Pradesh aimed at promoting cleanliness, plantation and environmental protection.

इसके अंतर्गत सफाई अभियान, प्लास्टिक पर रोक तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पर बल दिया जाता है।

Under this campaign, emphasis is laid on cleanliness drives, ban on plastic and large-scale plantation.

vii. बिहार में हाल के चुनावों में महागठबंधन की जीत

vii. Victory of Grand Alliance in Recent Elections in Bihar

बिहार के हाल के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने सफलता प्राप्त की। महागठबंधन में मुख्यतः Rashtriya Janata Dal, Janata Dal (United) तथा Indian National Congress सम्मिलित थे।

In the recent Bihar Assembly elections, the Grand Alliance achieved success. The alliance mainly included Rashtriya Janata Dal, Janata Dal (United) and Indian National Congress.

इस जीत को सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय राजनीति की सफलता माना गया।

This victory was considered a success of social justice and regional politics.

**viii. सर्व शिक्षा अभियान Sarva Shiksha Abhiyan**

Sarva Shiksha Abhiyan की शुरुआत 2001 में की गई। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है।

Sarva Shiksha Abhiyan was launched in 2001. Its aim is to provide free and compulsory education to all children between 6 and 14 years of age.

इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों का निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।
Under this scheme, emphasis was laid on construction of schools, appointment of teachers and education of girls.

**ix. स्मार्ट सिटी योजना Smart City Yojana**

Smart Cities Mission की शुरुआत 2015 में की गई। इसका उद्देश्य शहरों को आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है।
Smart Cities Mission was launched in 2015. Its objective is to make cities modern, clean, safe and technologically advanced.
इस योजना के अंतर्गत बेहतर सड़कें, परिवहन, बिजली, जलापूर्ति, डिजिटल सेवाएँ और हरित क्षेत्र विकसित किए जाते हैं।
Under this scheme, better roads, transport, electricity, water supply, digital services and green areas are developed.

**x. धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक गारंटी Constitutional Guarantee of Secularism**

भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। "धर्मनिरपेक्ष" शब्द 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया।
The Constitution of India declares India to be a secular State. The word "Secular" was added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment, 1976.
अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं।
Articles 25 to 28 provide every citizen the freedom to profess, practise and propagate religion.
राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।
The State does not favour any particular religion and treats all religions equally.

**Q7. Write the full forms of the following abbreviations.**

i. SEBI – Securities and Exchange Board of India
SEBI – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
ii. ISRO – Indian Space Research Organisation
ISRO – भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
iii. NCTC – National Counter Terrorism Centre
NCTC – राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र
iv. ASEAN – Association of Southeast Asian Nations
ASEAN – दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
v. CSIR – Council of Scientific and Industrial Research
CSIR – वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
vi. ONGC – Oil and Natural Gas Corporation
ONGC – तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
vii. ICJ – International Court of Justice
ICJ – अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

viii. IBRD – International Bank for Reconstruction and Development
IBRD – अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
ix. UGC – University Grants Commission
UGC – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
x. EEC – European Economic Community
EEC – यूरोपीय आर्थिक समुदाय

**Q8.(A) Name the authors of the following books.**

(i) Tamas – Bhisham Sahni
Tamas – भीष्म साहनी
(ii) As You Like It – William Shakespeare
As You Like It – विलियम शेक्सपियर
(iii) Gods of Corruption – Yatish Yadav
Gods of Corruption – यतीश यादव
(iv) Revolution 2020: Love, Corruption, Ambition – Chetan Bhagat
Revolution 2020: Love, Corruption, Ambition – चेतन भगत
(v) Faces and Places – Pranab Mukherjee
Faces and Places – प्रणब मुखर्जी

**Q8. (B)With which sports are the following associated?**

(i) Ranji Trophy – Cricket रणजी ट्रॉफी – क्रिकेट
(ii) Rovers Cup – Football रोवर्स कप – फुटबॉल
(iii) Davis Cup – Tennis डेविस कप – टेनिस
(iv) Aga Khan Cup – Hockey आगा खान कप – हॉकी
(v) Wellington Trophy – Rowing वेलिंगटन ट्रॉफी – रोइंग

**Q9. (A) In which fields have the following persons achieved fame.**

(i) Ghulam Ali – Ghazal Singing
Ghulam Ali – ग़ज़ल गायन
(ii) Tirath Singh Thakur – Judiciary; former Chief Justice of India
Tirath Singh Thakur – न्यायपालिका; भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
(iii) Mark Zuckerberg – Information Technology and Social Media; co-founder of Facebook
Mark Zuckerberg – सूचना प्रौद्योगिकी एवं सोशल मीडिया; Facebook के सह-संस्थापक
(iv) Aung San Suu Kyi – Politics and Democracy Movement in Myanmar
Aung San Suu Kyi – म्यांमार में राजनीति और लोकतंत्र आंदोलन
(v) Manohar Parrikar – Politics; former Defence Minister of India and former Chief Minister of Goa
Manohar Parrikar – राजनीति; भारत के पूर्व रक्षा मंत्री तथा गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री

## Q9. (B)What are meant by the following?

### (i) Speaker Pro Tem स्पीकर प्रोटेम

Speaker Pro Tem is a temporary Speaker appointed by the President to conduct the first meeting of the newly elected Lok Sabha until a regular Speaker is elected. Usually, the senior-most member of the House is appointed to this post.

स्पीकर प्रोटेम वह अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति नई लोकसभा की पहली बैठक चलाने के लिए नियुक्त करते हैं, जब तक कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। सामान्यतः सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

Functions:

1. Administers oath to newly elected members.
2. Presides over the election of the Speaker.
3. Conducts the proceedings of the House temporarily.

कार्य:

1. नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना।
2. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलाना।
3. अस्थायी रूप से सदन की कार्यवाही का संचालन करना।

### (ii) Lok Adalat लोक अदालत

Lok Adalat means "People's Court". It is an alternative dispute resolution mechanism where disputes are settled amicably without lengthy court procedures. It works under the National Legal Services Authority and the Legal Services Authorities Act, 1987.

लोक अदालत का अर्थ है "जनता की अदालत"। यह विवादों को लंबे न्यायालयी मुकदमों के बिना आपसी समझौते से निपटाने की व्यवस्था है। यह National Legal Services Authority तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कार्य करती है।

Main Features:

1. No court fee is charged.
2. Cases are decided quickly.
3. Decision of Lok Adalat is final and binding.
4. No appeal lies against its decision.

मुख्य विशेषताएँ:

1. कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता।
2. मामलों का त्वरित निपटारा होता है।
3. लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
4. इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

Types of cases settled:

- Motor accident claims
- Family disputes
- Labour disputes
- Bank recovery matters

- Pending court cases

निपटाए जाने वाले मामले:

- मोटर दुर्घटना दावे
- पारिवारिक विवाद
- श्रमिक विवाद
- बैंक ऋण वसूली
- न्यायालय में लंबित मामले

**(iii) Black Money काला धन**

Black Money refers to income or wealth on which tax has not been paid and which is hidden from the government. It is generally earned through illegal activities, corruption, smuggling, tax evasion, bribery or unaccounted business transactions.

काला धन उस आय या संपत्ति को कहते हैं जिस पर कर नहीं दिया गया हो और जिसे सरकार से छिपाया गया हो। यह सामान्यतः अवैध गतिविधियों, भ्रष्टाचार, तस्करी, कर चोरी, रिश्वत या बिना हिसाब वाले व्यापारिक लेन-देन से अर्जित किया जाता है।

Sources of Black Money:

1. Tax evasion
2. Corruption
3. Illegal trade and smuggling
4. Hawala transactions
5. Unrecorded cash dealings

काले धन के स्रोत:

1. कर चोरी
2. भ्रष्टाचार
3. अवैध व्यापार और तस्करी
4. हवाला लेन-देन
5. बिना रिकॉर्ड के नकद लेन-देन

Effects:

1. Loss of government revenue
2. Increase in corruption
3. Economic inequality
4. Inflation and parallel economy

प्रभाव:

1. सरकार के राजस्व में कमी
2. भ्रष्टाचार में वृद्धि
3. आर्थिक असमानता
4. महँगाई और समानांतर अर्थव्यवस्था का विकास

Measures taken in India:

1. Demonetisation in 2016

2. Black Money Act, 2015
3. Digital payments and GST
4. Action against benami property

भारत में उठाए गए कदम:

1. 2016 में नोटबंदी
2. Black Money Act, 2015
3. डिजिटल भुगतान और GST
4. बेनामी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई

**(iv) Adult Franchise वयस्क मताधिकार**

Adult Franchise means the right of every adult citizen to vote in elections without discrimination on the basis of religion, caste, sex, language or property. In India, every citizen who is 18 years or above has the right to vote.

वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, भाषा या संपत्ति के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार प्राप्त हो। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है।

The principle of adult franchise is provided under Article 326 of the Constitution of India.

वयस्क मताधिकार का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है।

Importance:

1. Strengthens democracy
2. Ensures equality
3. Gives people participation in government
4. Makes government accountable

महत्त्व:

1. लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।
2. समानता सुनिश्चित करता है।
3. लोगों को शासन में भागीदारी देता है।
4. सरकार को उत्तरदायी बनाता है।

**(v) Bhoodan भूदान**

Bhoodan means “donation of land”. It was a voluntary land reform movement started in 1951 by Vinoba Bhave to persuade rich landlords to donate a part of their land to landless people.

भूदान का अर्थ है “भूमि का दान”। यह 1951 में Vinoba Bhave द्वारा प्रारंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य बड़े भूमिधरों को अपनी कुछ भूमि भूमिहीन लोगों को दान करने के लिए प्रेरित करना था।

The movement began in the village of Pochampally in present-day Telangana when some landlords donated land for poor peasants.

यह आंदोलन वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव से शुरू हुआ, जब कुछ जमींदारों ने गरीब किसानों के लिए भूमि दान की।

Objectives:

1. To reduce land inequality

2. To provide land to the landless
3. To promote social justice and rural development

उद्देश्य:

1. भूमि असमानता को कम करना
2. भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना
3. सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना

Importance:

1. It was a peaceful movement.
2. It spread Gandhian ideas of equality and non-violence.
3. It highlighted the problem of unequal distribution of land.

महत्त्व:

1. यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था।
2. इसने समानता और अहिंसा के गांधीवादी विचारों को फैलाया।
3. इसने भूमि के असमान वितरण की समस्या को उजागर किया।

**Q10.(A) देश में आर्थिक सुधार लाने के लिए केंद्र द्वारा अपनाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए।**

**Discuss the steps adopted by the Centre for bringing about economic reforms in the counrty.**

भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत मुख्यतः 1991 में हुई, जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था, महँगाई बढ़ रही थी और विकास दर धीमी थी। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उदार, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक बनाना था।

Economic reforms in India mainly began in 1991 when the country was facing a severe economic crisis. Foreign exchange reserves had fallen, inflation was rising and the growth rate was slowing down. In this situation, the Central Government adopted a New Economic Policy whose main objective was to make the economy liberal, competitive and globally integrated.

**आर्थिक सुधारों के प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं—**

**The major steps of economic reforms are as follows—**

**1. उदारीकरण (Liberalisation)**

उदारीकरण का अर्थ है उद्योगों और व्यापार पर लगे सरकारी नियंत्रणों को कम करना। सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था में ढील दी तथा अनेक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया।

Liberalisation means reducing government controls on industries and trade. The government relaxed the licensing system and opened many industries to the private sector.

मुख्य कदम:

• औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया।
• बैंकिंग, दूरसंचार, बीमा, विमानन आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रवेश दिया गया।
• ब्याज दरों और आयात-निर्यात पर नियंत्रण कम किया गया।

Major steps:

• Industrial licensing system was abolished.

• Private sector was allowed in banking, telecom, insurance and aviation.
• Controls on interest rates and imports-exports were reduced.

### 2 निजीकरण (Privatisation)

निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी कम की गई और कुछ संस्थानों को निजी क्षेत्र को सौंपा गया।
Under privatisation, the government reduced its share in public sector enterprises and some institutions were transferred to the private sector.

मुख्य कदम:
• विनिवेश नीति अपनाई गई।
• घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेची गई।
• रणनीतिक बिक्री की नीति अपनाई गई।

Major steps:
• Disinvestment policy was adopted.
• Shares of loss-making public enterprises were sold.
• Strategic sale policy was followed.

### 3. वैश्वीकरण (Globalisation)

वैश्वीकरण का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना था।
Globalisation aimed to connect the Indian economy with the world economy.

मुख्य कदम:
• विदेशी निवेश को अनुमति दी गई।
• बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कार्य करने की छूट दी गई।
• आयात शुल्क कम किए गए और व्यापार को बढ़ावा दिया गया।

Major steps:
• Foreign investment was allowed.
• Multinational companies were permitted to work in India.
• Import duties were reduced and trade was encouraged.

### 4. कर सुधार (Tax Reforms)

सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए।
The government introduced several reforms to make the tax system simple and transparent.

मुख्य कदम:
• वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
• आयकर दरों को सरल बनाया गया।
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया।

Major steps:
• Goods and Services Tax was implemented.
• Income tax rates were simplified.

• Digital payments were encouraged.

### 5. वित्तीय क्षेत्र सुधार (Financial Sector Reforms)

बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधार किए गए।

Reforms were introduced to strengthen banks and financial institutions.

मुख्य कदम:

• नए निजी बैंकों को अनुमति दी गई।

• शेयर बाजार में सुधार किए गए।

• Securities and Exchange Board of India को अधिक शक्तियाँ दी गईं।

Major steps:

• New private banks were allowed.

• Reforms were made in the stock market.

• Securities and Exchange Board of India was given more powers.

### 6. कृषि एवं ग्रामीण सुधार (Agricultural and Rural Reforms)

कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए।

Several measures were taken in the agricultural sector to increase production and farmers' income.

मुख्य कदम:

• सिंचाई, उर्वरक और कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया।

• किसानों के लिए ऋण और बीमा योजनाएँ शुरू की गईं।

• ग्रामीण रोजगार योजनाएँ लागू की गईं।

Major steps:

• Irrigation, fertilizers and agricultural technology were promoted.

• Loan and insurance schemes for farmers were introduced.

• Rural employment schemes were implemented.

### 7. डिजिटल और संरचनात्मक सुधार (Digital and Structural Reforms)

हाल के वर्षों में सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया है।

In recent years, the government has focused on the digital economy and infrastructure.

मुख्य कदम:

• Digital India कार्यक्रम शुरू किया गया।

• आधार, UPI और DBT जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गईं।

• सड़क, रेल, बंदरगाह और बिजली के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया।

Major steps:

• Digital India programme was launched.

• Systems like Aadhaar, UPI and DBT were implemented.

• Investment in roads, railways, ports and power was increased.

**निष्कर्ष**

आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक खुला, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाया है। इससे विदेशी निवेश बढ़ा, रोजगार के अवसर बने और विकास दर में वृद्धि हुई। हालांकि, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इसलिए आर्थिक सुधारों के साथ-साथ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

Economic reforms have made India's economy more open, competitive and modern. They increased foreign investment, created employment opportunities and improved the growth rate. However, challenges such as poverty, unemployment and inequality still remain. Therefore, along with economic reforms, attention must also be given to social justice and inclusive development.

**Q10. (B) वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय सुझाइए।**

**How is air pollution caused? Suggest measures for the prevention of air pollution.**

वायु प्रदूषण का अर्थ है वायु में हानिकारक गैसों, धूल, धुएँ और विषैले कणों की मात्रा का सामान्य स्तर से अधिक हो जाना। जब वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआँ, धूलकण और जहरीली गैसें बढ़ जाती हैं, तब वायु प्रदूषण होता है।

Air pollution means the presence of harmful gases, smoke, dust and poisonous particles in the air beyond the normal limit. When the quantity of carbon monoxide, sulphur dioxide, nitrogen oxides, smoke, dust particles and toxic gases increases in the atmosphere, air pollution occurs.

**वायु प्रदूषण के कारण**

**Causes of Air Pollution**

1. वाहनों से निकलने वाला धुआँ
   मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, बसें और कारें पेट्रोल और डीज़ल जलाती हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआँ निकलता है।
   Smoke from vehicles
   Motor vehicles, trucks, buses and cars burn petrol and diesel, which release carbon monoxide, nitrogen oxides and smoke.
2. कारखानों और उद्योगों का धुआँ
   कारखानों, बिजलीघरों और उद्योगों से निकलने वाली गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं।
   Smoke from factories and industries
   Gases released from factories, power plants and industries pollute the air.
3. कोयला और लकड़ी का प्रयोग
   घरों, ईंट-भट्ठों और उद्योगों में कोयला, लकड़ी और अन्य ईंधनों के जलने से धुआँ पैदा होता है।
   Use of coal and wood
   Burning coal, wood and other fuels in homes, brick kilns and industries creates smoke.
4. फसल अवशेष जलाना
   किसान खेतों में पराली जलाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में धुआँ और जहरीली गैसें निकलती हैं।

Burning of crop residue

Farmers burn stubble in fields, which releases a large amount of smoke and toxic gases.

5. कचरा जलाना

   प्लास्टिक, रबर और घरेलू कचरे को जलाने से वायु में विषैले तत्व फैलते हैं।

   Burning of waste

   Burning plastic, rubber and domestic waste spreads toxic substances in the air.

6. निर्माण कार्य और धूल

   सड़क निर्माण, भवन निर्माण और खनन से धूल उड़ती है, जो वायु प्रदूषण बढ़ाती है।

   Construction work and dust

   Road construction, building work and mining create dust, which increases air pollution.

7. वनों की कटाई

   पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ों की कटाई से वायु में प्रदूषण बढ़ता है।

   Deforestation

   Trees purify the air. Cutting trees increases pollution in the atmosphere.

**वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव**

**Effects of Air Pollution**

1. सांस की बीमारियाँ, अस्थमा और फेफड़ों की समस्या बढ़ती है।
2. आँखों में जलन और त्वचा रोग होते हैं।
3. अम्लीय वर्षा होती है।
4. पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन होता है।
5. फसलें और पेड़-पौधे प्रभावित होते हैं।

   It causes respiratory diseases, asthma and lung problems.

   It causes eye irritation and skin diseases.

   It leads to acid rain.

   It increases global warming and climate change.

   Crops and plants are affected.

**वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय**

**Measures to Prevent Air Pollution**

1. अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।

   पेड़ वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

   More trees should be planted.

   Trees absorb carbon dioxide and release oxygen.

2. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए।

   बस, मेट्रो और कार-पूलिंग से वाहनों की संख्या कम होगी।

   Public transport should be used.

   Buses, metro and car-pooling reduce the number of vehicles.

3. स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए।

   CNG, LPG, बिजली और सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना चाहिए।

Clean fuels should be used.

The use of CNG, LPG, electricity and solar energy should be increased.

4. कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने चाहिए।
   फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए।
   Pollution control devices should be installed in industries.
   Filters and modern technology should be used in factory chimneys.
5. पराली और कचरा जलाने पर रोक लगानी चाहिए।
   इसके स्थान पर वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए।
   Burning of stubble and waste should be stopped.
   Scientific methods should be adopted instead.
6. निर्माण स्थलों पर धूल रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए।
   पानी का छिड़काव और ढकाव करना चाहिए।
   Dust control measures should be adopted at construction sites.
   Water sprinkling and covering should be done.
7. लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए।
   लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव और बचाव के उपायों की जानकारी देनी चाहिए।
   Public awareness should be increased.
   People should be informed about the harmful effects of pollution and its prevention.

**निष्कर्ष Conclusion**

वायु प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह मानव जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए।

Air pollution is one of the most serious problems of the present time. If it is not controlled in time, it will become a great threat to human life and the environment. Therefore, both the government and citizens should work together to prevent air pollution.